भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *34

05.02.2024 को उत्तर के लिए

हाथी गलियारों पर अतिक्रमण

***34. श्री एन. रेड्डप्प :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में 29 प्रतिशत हाथी गलियारों पर अतिक्रमण को कम करने के उपाय कर रही है जो हाथियों के बड़े प्राकृतिकवासों के बीच उनके गतिविधि स्थान को और अधिक कम कर रहा है जिससे उनके स्थानीय आबादी के साथ संघर्ष की संभावना बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में अतिक्रमण को रोकने और मानव-वन्यजीव संतुलन बहाल करने के लिए किए जा रहे ऐसे अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

<u>'हाथी गलियारों पर अतिक्रमण' के संबंध में दिनांक 05.02.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *34 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण</u>

(क) से (घ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, राज्य वन विभागों के समन्वय से, वर्ष 2021-23 के दौरान भारत के 15 हाथी बहुल राज्यों (अर्थात् आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नगालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) में स्थित 150 हाथी गलियारों का जमीनी सत्यापन किया है। भारत के हाथी गलियारों से संबंधित रिपोर्ट को मंत्रालय द्वारा विश्व हाथी दिवस, 2023 के दौरान जारी किया गया और हाथी गलियारों को सुरक्षित एवं संरक्षित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए उक्त रिपोर्ट को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया।

हाथी गलियारों सहित वन्यजीव पर्यावासों का प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। यदि किसी वन्यजीव पर्यावास के अंतर्गत आने वाली वन भूमि को किसी विकास संबंधी उपयोग के लिए अपवर्तित किया जाता है, तो संबंधित राज्य सरकार द्वारा सामान्यत: वन्यजीव प्रबंधन योजना और/या वन्यजीव उपशमन योजना तैयार की जाती है और उसे कार्यान्वित किया जाता है। तदनुसार, मामला-दर-मामला आधार पर सुरक्षा और संरक्षण के उपाय भी किए जाते हैं।

इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा किए गए निम्नलिखित उपायों से भी हाथी गलियारों को सुरक्षित करने में मदद मिलती है :

(i) केंद्रीय सरकार, देश में वन्यजीवों तथा उनके पर्यावासों के प्रबंधन हेतु केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' और 'बाघ एवं हाथी परियोजना' के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ii) इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न अन्य केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें, जल-स्रोतों में वृद्धि करने, चारे के पौधे लगाने, बांस को फिर से उगाने इत्यादि के द्वारा हाथियों के प्राकृतिक पर्यावासों के सुधार में योगदान देती हैं। ऐसी स्कीम में वन्यजीव पर्यावास का विकास शामिल है। प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में हाथियों सहित वन्यजीव पर्यावासों के विकास, पशु बचाव केंद्रों की स्थापना इत्यादि के लिए भी इस निधि के उपयोग का प्रावधान किया गया है, जिससे मानव-हाथी संघर्ष को कम करने में योगदान मिलता है।

(iii) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 03 जून, 2022 को फसलों को होने वाला नुकसान सहित मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं के प्रबंधन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। इसमें वन-सीमावर्ती क्षेत्रों में वन्यजीवों के लिए अरूचिकर फसलों और कृषि वानिकी मॉडल में वृक्ष/झाड़ियों की किस्मों के साथ अच्छी तरह मिश्रित करके उगाने वाली नकदी फसलों जैसे कि मिर्च, नींबू घास, खस घास आदि शामिल हों, को बढ़ावा देना शामिल है। इसमें संवेदनशील क्षेत्रों में विभिन्न स्कीमों के तहत राज्य कृषि/बागवानी विभाग द्वारा वैकल्पिक फसल उगाने हेतु व्यापक दीर्घकालीन योजना तैयार करना और उसे कार्यान्वित करना भी सम्मिलित हैं।

(iv) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण और विश्व बैंक के परामर्श से एक दस्तावेज नामत: 'रेखीय अवसंरचना के प्रभावों के उपशमन के लिए पारि-हितैषी उपाय' (2016) प्रकाशित किया है जिसका उद्देश्य रेलवे लाइनों सहित रेखीय अवंसरचना को इस प्रकार से डिजाइन करने में परियोजना एजेंसियों की सहायता करना है, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में कमी हो सके।

(v) मानव-हाथी संघर्ष के प्रबंधन हेतु फ्रंटलाइन स्टाफ के लिए दिनांक 29 अप्रैल, 2022 को हाथी परियोजना की संचालन समिति की 16वीं बैठक के दौरान एक फील्ड मैनुअल जारी किया गया था।

(vi) इस मंत्रालय ने मानव-हाथी संघर्ष की घटनाओं का समाधान करने हेतु 'मानव-हाथी संघर्ष उपशमन-सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व दृष्टिकोण अपनाने हेतु दिशानिर्देश (2023)' भी जारी किए हैं।

(vii) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून में 13-15 मार्च, 2023 को 'हाथी रिजर्वों के प्रबंधन को मुख्य धारा में लाना' विषय पर क्षमता संवर्धन कार्यशाला आयोजित की गई।

(viii) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून में 23-25 नवंबर, 2023 को भारतीय रेल के कार्मिकों के लिए 'हाथियों और अन्य वन्यजीवों पर रेलमार्ग के प्रभाव को कम करना' विषय पर एक क्षमता संवर्धन कार्यशाला आयोजित की गई।

(ix) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून में 28-29 नवंबर, 2023 को 'हाथी रिजर्वों के प्रबंधन को मुख्य धारा में लाना' विषय पर क्षमता संवर्धन कार्यशाला आयोजित की गई।

******